

1/168762/2022

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या: 1/168762/2022/ 71-1001(001)/12/2021Part(1)

लखनऊ: दिनांक 23 मई, 2022

विज्ञप्ति/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, एनेस्थीसियोलॉजी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज के पत्र संख्या-12/04/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 10 जनवरी, 2022, संख्या-12(1)/04/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 29 जनवरी, 2022, संख्या-12(2)/04/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 29.01.2022, संख्या-12(3)/04/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 17.02.2022, संख्या-12(4)/04/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 23.02.2022 एवं संख्या-12(5)/04/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 07 मार्च, 2022 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 06 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू० 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे:-

- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
- (2) अभियोजन लम्बित न होने तथा मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथ पत्र।
- (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
- (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
- (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
- (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।

I/168762/2022

- 3- अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

Signed by आलोक कुमार

Date: 18-05-2022 13:09:35

Reason (आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या-उपरोक्त तददिनोंक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा०मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं, आजमगढ़, कन्नौज, अम्बेडकरनगर, जालौन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूं, आजमगढ़, कन्नौज, अम्बेडकरनगर, जालौन।
7. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं, आजमगढ़, कन्नौज, अम्बेडकरनगर, जालौन।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०पी० सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या: एम०ई०-2/2022/ 1118-19

लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बदायूं, आजमगढ़, कन्नौज, अम्बेडकरनगर, जालौन।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।



महानिदेशक
चिकित्सा शिक्षा

कार्यालय ज्ञाप संख्या:

/ 71-1001(001)/12/2021Part(1)

लखनऊ: दिनांक

मई, 2022 का संलग्नक

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/रजि०नं०/श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा० शिखा अग्रवाल पत्नी श्री तुषार गोयल/ 53200036126/अना०/महिला	एन०-1402 ग्रैण्ड हेरिटेज, अजनारा, सेक्टर-74 गौतमबुद्धनगर, उ०प्र०-201301	मेडिकल कालेज, बदायूं
2	डा० नेहा पंवार पत्नी श्री करन अस्थाना/ 53200021142/अना०/महिला	ए-27 राष्ट्रीनगर, फेज-2 मेडिकल कालेज रोड़, गोरखपुर, उ०प्र०-273001	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
3	डा० अनीता सिंह पुत्री श्री गिरीश चन्द्र/ 53200040739/ओ०बी०सी०/महिला	198 एम०आई०जी० जरौली फेज-2, बर्रा, कानपुर अरबन, उ०प्र०-208027	मेडिकल कालेज, कन्नौज
4	डा० सन्नी देयोल गौतम पुत्र श्री मायाराम/ 53200032467/एस०सी०	ए०-694 संचार बिहार कालोनी, आई०टी०आई० लिमिटेड, मनकापुर, गोण्डा, उ०प्र०-271308	मेडिकल कालेज, अम्बेडकनगर
5	डा० देवेन्द्र प्रताप राठौर पुत्र श्री राम राठौर/ 53200042437/ओ०बी०सी०	पी०-328 यशोदानगर, पुलिया नं०-20 कानपुर अरबन, उ०प्र०-208011	मेडिकल कालेज, जालौन
6	डा० विजयन्त कुमार पुत्र श्री वीरसेन मलिक/ 53200015849/ओ०बी०सी०	ए-205 वेंकटेश्वरा रेजीडेन्सी, गढ़ रोड़, मेरठ, उ०प्र०-250004	मेडिकल कालेज, बदायूं

(एस०पी० सिंह)
अनु सचिव